संख्या–87/51–11–1(समादेश)/2011

प्रेषक,

योगेश कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2– आयुक्त एवं प्रशासक,
शारदा सहायक समादेश/रामगगा कमाण्ड परियोजना,
लखनऊ/कानपुर।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग–   लखनऊः दिनांकः 05 सितम्बर अगस्त, 2011

महोदय,

कृपया शासन के पत्र संख्या840/54–1–11/2(समादेश)/2007 टीसी, दिनांक 23 अगस्त, 2011 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0–3663/38–07–2011, दिनांक 18–08–2011 संलग्न कर भेजते हुए मनरेगा के अन्तर्गत लक्ष्यों को शतप्रतिशत पूर्ति कराने की अपेक्षा की गयी थी।

उपरोक्त के संबंध में शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ग्राम्य विकास विभाग द्वारा मनरेगा की उपलब्ध 300 करोड़ रू0 की धनराशि को आई0डब्ल्यू0एम0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू परियोजनाओं में कन्वर्जेन्स करते हुए व्यय किया जाये। आई0डब्ल्यू0एम0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत कई क्रिया–कलाप जैसे–भूमि संरक्षण के कार्य, वनीकरण, उद्यानीकरण आदि ऐसे काम हैं, जिनको मनरेगा में निर्धारित मानकों के अनुरूप कराया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा भी आई0डब्ल्यू0एम0पी0 कार्यक्रम के साथ अन्य कार्यक्रमों को कन्वर्जेन्स करने के लिए अत्यधिक बल दिया जा रहा है। इन कन्वर्जेन्स के फलस्वरूप यदि आई0डब्ल्यू0एम0पी0 के अन्तर्गत किसी कम्पोनेन्ट पर धनराशि बचती है तो संबंधित कम्पोनेन्ट का कार्य बढ़ाया जा सकता है।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें तथा आवश्यकतानुसार डी0पी0आर0 को भी संशोधित कर लिया जाये।

भवदीय,

(योगेश कुमार)
प्रमुख सचिव।